उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), सरायकेला–खरसावाँ।

अधिसूचना

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution Act 2003 (COTPA-2003) को सरायकेला–खरसावाँ जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ज्ञापांक 156 दिनांक 06/07/2017 में लिए गए निर्णय के आलोक में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, सरायकेला–खरसावाँ की अध्यक्षता में **जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति** District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC) का गठन इस कार्यालय के पत्रांक .... (NCD) सरायकेला–खरसावाँ, दिनांकः–.................... द्वारा किया जाता है। निम्न पदाधिकारियों को जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है।

1. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति	:	अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक	:	सदस्य
3. असैनिक भाल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चि0 पदा0,	:	सदस्य सचिव
4. अपर समाहर्त्ता (विधि व्यवस्था)–सह–विषेश नोडल पदा0,तंबाकू नियंत्रण	:	सदस्य–सह–मुख्य समन्वयक
5. उप–विकास आयुक्त, सरायकेला–खरसावाँ	:	सदस्य
6. जिला नोडल पदा0, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम	:	सदस्य–सह–समन्वयक
7. नगर आयुक्त, सरायकेला–खरसावाँ नगर निगम	:	सदस्य
8. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	:	सदस्य
9. जिला शिक्षा पदाधिकारी	:	सदस्य
10. जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी	:	सदस्य
11. जिला परिवहन पदाधिकारी	:	सदस्य
12. जिला कृशि पदाधिकारी	:	सदस्य
13. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी	:	सदस्य
14. औशधि निरीक्षक	:	सदस्य
15. जिला परामर्शी, NTCP/राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम	:	सदस्य
16. अध्यक्ष, आई0एम0ए0, सरायकेला–खरसावाँ		सदस्य
17. सचिव, भारतीय रेडक्रॉस समिति, सरायकेला–खरसावाँ	:	सदस्य
18. सचिव, रोटरी कल्ब, सरायकेला–खरसावाँ	:	सदस्य
19. प्रतिनिधि, सोशियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स)	:	सदस्य
20. प्राचार्य, नृप राज +2 उच्च विद्यालय, सरायकेला–खरसावाँ	:	सदस्य
21. प्राचार्य काशी साहु कॉलेज, सरायकेला–खरसावाँ	:	सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित हैः–

- COTPA-2003 को पूरे सरायकेला–खरसावाँ जिले में प्रभावी रूप से लागू करवाने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने तथा मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।

- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- सरायकेला–खरसावाँ जिले/प्रखण्डों की अनुश्रवण/रहनुमाई समिति का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहें हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामले में फैसला लिया गया है।
- तंबाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखण्ड स्तरीय समिति को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करना तथा राज्य/जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।
- DTCCC की त्रैमासिक मनोनीत सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना।
- तम्बाकू और संबंद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष एवं surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज करने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रकिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।

0/6/19

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, सरायकेला–खरसावाँ।

ज्ञापांक 52 (DLO) / सरायकेला–खरसावाँ दिनांक 6.06.19

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित। ।
प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक रेल सहित, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता –सह–विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : आरक्षी उपाधीक्षक, (मुख्यालय), सरायकेला–खरसावा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी/जिला औषधि निरीक्षक/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला श्रम अधीक्षक/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला वाणिज्य कर पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सरायकेला–खरसावा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

0/6/19

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, सरायकेला–खरसावाँ।

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यपार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) के प्रभावकारी अनुपालन के लिए **अपर समाहर्त्ता, सरायकेला–खरसावाँ** को जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का विशेष नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) नामित किया जाता है। विशेष नोडल पदाधिकारी जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का जिले में सफल संचालन कराना सुनिश्चित करेगें। साथ ही सरायकेला–खरसावाँ जिले को धुम्रपान मुक्त जिला धोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगें।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

07/6/19

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, सरायकेला–खरसावाँ।

ज्ञापांक 52 (DLO) / सरायकेला–खरसावाँ दिनांक 06/06/19

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित। ।
प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक रेल सहित, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता –सह–विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : आरक्षी उपाधीक्षक, (मुख्यालय), सरायकेला–खरसावा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी/जिला औषधि निरीक्षक/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला श्रम अधीक्षक/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला वाणिज्य कर पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सरायकेला–खरसावा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

07/6/19

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, सरायकेला–खरसावाँ।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), सरायकेला खरसावाँ।

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यपार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) की धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थल पर धुम्रपान प्रतिबंधीत है जैसे – लोक वाहन, बस स्टैंड, रेल प्रतीक्षलय, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, कारागार, मनोरंजन केन्द/डांस स्थल, पुस्तकालय, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, पब, क्लब, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, बैंक परिसर, बैंक के ATM सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षिणिक संस्थान, सभी पर्यटन स्थल, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ केन्द्र/अस्पताल भवन, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, बार, कैंटीन, पंचायत भवन, धार्मिक स्थल, हवाई अड्डा प्रतिक्षालय आदि संबंधित स्थल सार्वजनिक स्थल की परिभाषा के दायरे में आते हैं।

सार्वजनिक स्थल पर धुम्रपान सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यपार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) की धारा 21 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अल्लंधनकर्त्ता को रूपये 200/–तक जुर्माना किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थल के मालिक, प्रापराईटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी अपने स्तर से सार्वजनिक स्थल के प्रवेश द्वार पर, यदि एक से ज्यादा प्रवेश द्वार है तो ऐसे प्रत्येक प्रवेश द्वार पर और उनके अन्दर सुस्पष्ट स्थान/स्थानों पर नीचे दर्शाये गये बोर्ड के प्रारुप एवं मापदण्ड के अनुसार गैर धूम्रपान क्षेत्र वाले बोर्ड का प्रदर्शन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड के नीचे किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन वाले बोर्ड/किसी अन्य माध्यम से प्रदर्शित किए गए (गैर धूम्रपान क्षेत्र) अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 (COTPA-2003) की धारा–4 के लिए अधिकृत पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियन COTPA-2003 की धारा–(4) का प्रभावकारी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यदि सार्वजनिक स्थान का मालिक /

प्रोपराईटर/प्रबंधक/पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसा उल्लंघन सूचित करने पर कार्रवाई करने असफल रहते हैं तो मालिक/प्रोपराईटर/प्रबंधक/पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी व्यक्तिगत अपराध संख्या के समतुल्य जुर्माना अदा करने का जिम्मेदार होगा। यह आदेश जिला अंतर्गत सभी स. स्थल/विभाग पर लागु होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

0।/6/19

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, सरायकेला–खरसावाँ।

ज्ञापांक 54 (DLO) सरायकेला–खरसावाँ दिनांक 07/06/19

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित। ।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक रेल सहित, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता –सह–विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आरक्षी उपाधीक्षक, (मुख्यालय), सरायकेला–खरसावा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी/जिला औषधि निरीक्षक/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला श्रम अधीक्षक/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला वाणिज्य कर पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सरायकेला–खरसावा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

07/6/19

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, सरायकेला–खरसावाँ।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), सरायकेला-खरसावाँ

आदेश

सरायकेला-खरसावाँ जिला के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार-प्रसार बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार *"धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास/रूपये 1000/-(रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"*।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/दुकानदारों/व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार-प्रसार करना बंद करें एवं सरायकेला-खरसावाँ जिला में लगाये गये इस तरह के बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संवत कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह० 06/5/19

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, सरायकेला-खरसावाँ।

ज्ञापांक 55(DLO)/ सरायकेला-खरसावाँ दिनांक 06/5/19

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित। ।
प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक रेल सहित, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता -सह-विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : आरक्षी उपाधीक्षक, (मुख्यालय), सरायकेला-खरसावा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी/जिला औषधि निरीक्षक/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला श्रम अधीक्षक/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला वाणिज्य कर पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सरायकेला-खरसावा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह० 06/5/19

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, सरायकेला-खरसावाँ।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), सरायकेला—खरसावाँ

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यपार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) की धारा 6(A) के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करवाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा 6 (A) के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर नीचे दर्शाए गए प्रारुप एवं मापदण्ड के अनुरुप बोर्ड लगाना अनिवार्य है। बोर्ड के नीचे किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन वाले बोर्ड अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

फ्लेक्स / बोर्ड का प्रारुप निम्न हैः—

अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है

60 cm

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा— बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मसाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेगें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

07/6/19

उपायुक्त—सह—अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, सरायकेला—खरसावाँ।

ज्ञापांक 56 (DLO) / सरायकेला—खरसावाँ दिनांक 06/06/19

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल / पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित। ।
प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक रेल सहित, सरायकेला—खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता –सह–विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सरायकेला–खरस सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आरक्षी उपाधीक्षक, (मुख्यालय), सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी/जिला औषधि निरीक्षक/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला श्रम अधीक्षक/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला वाणिज्य कर पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सरायकेला–खरसावा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, सरायकेला–खरसावाँ।

(92)

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), सरायकेला–खरसावाँ।

आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकु मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकु के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगाने एवं दिवार लेखन का निदेश दिया जाता है। जिस का प्रारूप निम्न प्रकार से है :–

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने–अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं **100 गज के दायरें में किसी भी प्रकार का तंम्बाकु उत्पाद की बिकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें**। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दूष्परिणामों के बारें में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकु नियंत्रण पर प्रभात–फेरी के

...न से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक महीने के समीक्षात्मक बैठक में इस नियंत्रण के तहत की गयी कारवाई की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, सरायकेला–खरसावाँ।

ज्ञापांक 57(DL0) / सरायकेला–खरसावाँ दिनांक 07/06/19

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।।
प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक रेल सहित, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता –सह–विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : आरक्षी उपाधीक्षक, (मुख्यालय), सरायकेला–खरसावा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी/जिला औषधि निरीक्षक/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला श्रम अधीक्षक/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला वाणिज्य कर पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सरायकेला–खरसावा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, सरायकेला–खरसावाँ।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। मुख्य सचिव के पत्रांक–933/सी0एस0 दिनांक– 30.08.18 के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंधनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/– तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :–

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी – अध्यक्ष
2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी – सन्वयक सदस्य
3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी – सदस्य
4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी – सदस्य
5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी – सदस्य
6. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक – सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष – सदस्य

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में **इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।** वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें ली जा सकेंगी।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, सरायकेला–खरसावाँ।

ज्ञापांक 60 (DLO) / सरायकेला–खरसावाँ दिनांक 06/01/19

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित। ।
प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक रेल सहित, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता –सह–विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : आरक्षी उपाधीक्षक, (मुख्यालय), सरायकेला–खरसावा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी/जिला औषधि निरीक्षक/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला श्रम अधीक्षक/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला वाणिज्य कर

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। मुख्य सचिव के पत्रांक–933/सी0एस0 दिनांक– 30.08.18 के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंधनकर्त्ता**
पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/– तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :–

1. अनुमंडल पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	–	सदस्य
3. कार्यपालक दण्डाधिकारी	–	सदस्य
4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य
5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय	–	सदस्य
6. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष	–	सदस्य

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में **उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे**। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें लें सकेंगे।

07/6/19

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, सरायकेला–खरसावाँ।

ज्ञापांक 59 (DCO) / सरायकेला–खरसावाँ दिनांक 07/06/19

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित। ।
प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक रेल सहित, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता –सह–विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : आरक्षी उपाधीक्षक, (मुख्यालय), सरायकेला–खरसावा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी/जिला औषधि निरीक्षक/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला श्रम अधीक्षक/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला वाणिज्य कर पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सरायकेला–खरसावा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

07/6/19

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, सरायकेला–खरसावाँ।

पदाधिकारी / जिला नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सरायकेला–खरर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सरायकेला–खरसावा को सूचनार्थ एवं अनुपालनाथ प्रेषित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, सरायकेला–खरसावाँ।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), सरायकेला–खरसावां

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। मुख्य सचिव के पत्रांक–933/सी0एस0 दिनांक– 30.08.18 के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **जिला स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/– तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे:–

1. अपर समाहर्त्ता –सह–विषेश नोडल पदा0,तंबाकू नियंत्रण – अध्यक्ष
2. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय) – सदस्य
3. जिला परिवहन पदाधिकारी – सदस्य
4. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी – सदस्य
5. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी – सदस्य
6. औषधि निरीक्षक – सदस्य
7. जिला शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति) – सदस्य
9. श्रम अधीक्षक, सरायकेला–खरसावाँ – सदस्य
10. संबंधित थानाध्यक्ष – सदस्य
11. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) – समन्वयक

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण **इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित करेंगे**। साथ ही प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

07/06/19

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, सरायकेला–खरसावाँ।

ज्ञापांक 58(DLO) / सरायकेला–खरसावाँ दिनांक 07/06/19

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित। ।
प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक रेल सहित, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता –सह–विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : आरक्षी उपाधीक्षक, (मुख्यालय), सरायकेला–खरसावा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी/जिला औषधि निरीक्षक/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला श्रम अधीक्षक/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला वाणिज्य कर

पदाधिकारी / जिला नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सरायकेला–खरस सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सरायकेला–खरसावां को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, सरायकेला–खरसावाँ।